**चीनी का उत्पादन बढ़ाने के लिए कोष**

1406. डा० जिनेन्द्र कुमार जैन :
श्री राम जेठमलानी :

क्या खाद्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि देश में चीनी के उत्पादन को बढाने हेतु एक कोष की स्थापना की गई है ;

(ख) यदि हां, तो उक्त कोष में धनराशि किस तरह से जुटाई गई है ;

(ग) क्या यह भी सच है कि पिछले वर्षों के दौरान इस धनराशि का उक्त प्रयोजन हेतु उपयोग नहीं किया गया है ; और

(घ) यदि हां, तो इस संबंध में निर्धारित किये गये लक्ष्यों सहित तथ्य-क्या हैं ?

**खाद्य मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री कल्प नाथ राय)** : (क) और (ख) चीनी उपकर अधिनियम 1982 के अधीन भारत में किसी भी चीनी फैक्ट्री द्वारा उत्पादित समस्त चीनी पर 14।– रुपये प्रति क्विंटल की दर से उपकर की एकत्रित किया जा रहा है। चीनी विकास निधि अधिनियम 1982 में यह व्यवस्था है कि इस प्रकार उपकर की एकत्रित की गई धनराशि में से इसको एकत्रित करने की लागत को घटाकर जो राशि बैठेगी, वह और इस अधिनियम के प्रयोजन के लिए केन्द्रीय सरकार के पास प्राप्त हुई कोई भी राशि चीनी विकास निधि में जमा करवा दी जाएगी ।

(ग) चीनी विकास निधि का निम्नलिखित प्रयोजनों के लिए इस्तेमाल किया जाना होता है :—

(1) किसी भी चीनी फैक्ट्री अथवा उसके किसी भी यूनिट का पुनर्स्थापन और आधुनिकीकरण करने अथवा ऐसे क्षेत्र में, जहां कोई भी चीनी फैक्ट्री स्थित है, वहां गन्ने का विकास करने हेतु ऋण प्रदान करने के लिए ;

(2) ऐसी किसी अनुसंधान परियोजना हेतु अनुदान देने के लिए जिसका उद्देश्य चीनी उद्योग का विकास करना हो ;

(3) चीनी के मूल्यों में स्थिरता लाने की दृष्टि से बफर स्टाक बनाने और उसका अनुरक्षण करने के प्रयोजन हेतु खर्च को पूरा करने के लिए ;

(4) चीनी विकास निधि के प्रयोजन हेतु कोई अन्य खर्च पूरा करने के लिए इस निधि का उपर्युक्त प्रयोजनों के लिए इस्तेमाल किया गया है।

(घ) चीनी विकास निधि से ऋणों और सहायक अनुदान की मंजूरी/अदायगी प्राप्त, हुए आवेदन पत्रों की संख्या पर निर्भर करती है। संलग्न विवरण में चीनी विकास निधि से मंजूर किए गए ऋणों, सहायक अनुदानों और बफर स्टाक का अनुरक्षण करने के लिए राजसहायता का वर्षवार ब्यौरा दिया गया है ।

विवरण

(करोड़ रुपय में)

चीनी विकास निधि से मंजूर किए गए ऋणों, सहायता अनुदानों और बफर स्टाकों को अनुरक्षण करने के लिये राजसहायता का वर्षवार ब्यौरा

| वर्ष | गन्ने के विकास के लिए मंजूर किय गये ऋण | आधुनिकीकरण/पुनर्स्थापन के लिए मंजूर किये गये ऋण | सहायक अनुदान के लिए मूजूर की गई राशि | बफर स्टाक के अनुरक्षण के लिए राजसहायता | जोड़ |
|---|---|---|---|---|---|
| 1983–84 . | — | — | — | 8.00 | 8.00 |
| 1984–85 . | — | — | — | 36.52 | 36.52 |
| 1985–86 . | — | 1.79 | — | 16.53 | 98.32 |
| 1986–87 . | 45.89 | 4.46 | — | 10.66 | 61.01 |
| 1987–88 . | 70.10 | 5.89 | — | 0.86 | 76.85 |
| 1988–89 . | 77.34 | 48.09 | 0.46 | 0.39 | 126.28 |
| 1989–90 . | 84.80 | 62.25 | 23.23 | 0.02 | 170.30 |
| 1990–91 . | 26.54 | 54.42 | 6.41 | — | 87.37 |
| 1991–92 . | 31.00 | 133.57 | — | — | 164.57 |
| 1992–93 . (31–12–92 तक) | 26.68 | 40.62 | — | — | 67.30 |
| जोड़ : . | 362.35 | 351.09 | 30.10 | 72.98 | 816.52 |

**Support price of sugarcane**

1407. SHRI SHIV PRATAP MISHRA
SHRI SHANTI TYAGI:
SHRIMATI SUSHMA SWARAJ:
SHRI RAM JETHMALANI:

Will the Minister of AGRICULTURE be pleased to state:

(a) whether it is a fact that Government have decided the statutory minimum support price of the sugarcane under the licensing policy of sugar; and

(b) if so, the details thereof and if not, the reasons therefor and the production of sugarcane during the year 1992-93?